18/8/2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी हैं। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी व उसके भाई–बहिनों के पिता का सही नाम फूलचन्द मिठारवाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से वादी के पिता का नाम हरफूल दर्ज कर दिया गया। जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में अपने पिता का मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत चला द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अपनी माता के मतदाता पहचान पत्र की प्रति एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार शिवचन्द पुत्र सरूपा, किशोरीलाल पुत्र गीदा एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व बतौर साक्ष्य सह खातेदार शिवचन्द पुत्र सरूपा, किशोरीलाल पुत्र गीदा के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी व उसके भाई–बहिनों व माता की वल्दीयत हरफूल के नाम से अंकित है। वादी का कथन कि वादी व उसके भाई–बहिनों के पिता का सही नाम फूलचन्द मिठारवाल है की पुष्टि मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत चला द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अपनी माता के मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां से होती है तथा बतौर साक्ष्य सह खातेदार शिवचन्द पुत्र सरूपा, किशोरीलाल पुत्र गीदा एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चला पटवार हल्का चला स्थित भूमि खाता संख्या 74 एवं 159 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में वादी व उसके भाई–बहिनों व माता की वल्दीयत **हरफूल** के स्थान पर **फूलचन्द मिठारवाल** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	